

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1796 / 12-18 अल्मोड़ा, दिनांक, 23/11/2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कोना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलागूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।  
FP/UK/ROAD/15092/2015

संदर्भ:- आपकी ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 09.08.2019.

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा ने अपने पत्रांक 2179/12-1 (2) दिनांक 15.11.2019 से अवगत कराया है कि विषयगत मोटर मार्ग की हॉर्ड कॉपी अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, रानीखेत ने आपके कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने की पुष्टि की है। सुलभ संदर्भ हेतु संगत पत्रों की प्रति संलग्न है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05062 230065, फ़ैक्स: 05062 232182 ई-मेल almorastoredivision@rediffmail.com  
पत्रांक 2179 /12-102/ अल्मोड़ा दिनांक 15-11-2019

सेवा में

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय -- बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूँठ--तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं० 15092/2015.

सन्दर्भ:- ऑन लाईन आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रस्ताव की हार्ड कॉपी प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्र सं० 3579/18 सी०/दिनांक 01.11.2019 के द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को भेजी गयी है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

अतः सूचनार्थ महोदय की सेवा में प्रेषित।

संलग्न-- उक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

कार्यालय

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035

फैक्स :- 05966-220035

ई-मेल cdpwrkt@gmail.com

पत्रांक 3579/18सी.

दिनांक: रानीखेत, 1-11-2019

संज्ञा में,

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा  
वन प्रभाग अल्मोड़ा


विषय :- वरोरा बैण्ड से कूना मन्थारी मोटर मार्ग वर घौलाड़गूह तिपोला तक विस्तार के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक काम में आपको अवगत कराया है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण की हार्ड कॉपी इस कार्यालय के पत्रांक 1447/18 सी० दिनांक 24.5.19 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण विदेशालय इन्द्रनगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून की प्रेषित की गयी थी। अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 548/(1)K-4-19/1(178)/ 2018 दिनांक 25.7.19 द्वारा हार्ड कॉपी अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय-25 सुभाष रोड उत्तराखण्ड, देहरादून की प्रेषित कर दी गयी थी। सुलभ संदर्भ हेतु पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- पत्रानुसार।

  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत



4219  
18/11/19  
5-8-19

संख्या: /X-4-19/1(178)/2018

प्रेषक,  
सुभाष चन्द्र,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2019

विषय:—जनपद अल्मोड़ा में बसेरा से कुना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूँठ-तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर बानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किन्हीं जगहों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ऑन लाईन आई०डी०सं०-FP/UK/ROAD/15092/2015, के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत (स्विचिंट) किया जा चुका है, की हार्ड प्रति, राज्य सरकार की संस्तुति संबंधी प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)  
अपर सचिव।

संख्या: 548 (1) / X-4-19 / 1(178) / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या-3272/1जी-FP/UK/ROAD/15092/2015, दिनांक 03 जून, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

वन भूमि देहरे  
अपर सचिव  
5/8/19

(सुभाष चन्द्र)  
अपर सचिव।

पंजी 37

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सनीखेत  
फैक्स :- 05966-220035 फ़ैक्स :- 05966-220035 ई-मेल odpswdrt@gmail.com

दिनांक, सनीखेत, 24/5/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्द्रानगर फ़ारेस्ट कॉलेजी  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- बसेरा ब्रैण्ड से कूना घन्यारी मोटर मार्ग का धौलाडगूढ तियोला तक विस्मर के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों की हार्ड कॉपी प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 2964/FP/UK/ROAD/15092/2015 दिनांक 3.5.19  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराया है कि उक्त मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल में संलग्न कर भारत सरकार कार्यालय हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें। भविष्य हेतु उक्त मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के मूल अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

संलग्न :- प्रस्ताव 1 नं०।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
सनीखेत